

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-104/17 राजस्व वाद

1. श्री मुकेश कुमार पिता श्री लक्ष्मीलाल माण्डोत जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा
—वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
2. श्री अमरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा
—प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत अंतर्गत धारा 53 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित:-

1- श्री सत्यनारायण सोमानी

-

अधिवक्ता-वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 26.06.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारंभिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में यह स समाहित की गई। तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

- (1) खातेदार का नाम- मुकेश कुमार पिता लक्ष्मीलाल माण्डोत महाजन सा0देह खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	2326	4.08 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	रकबा 4.08 बीघा	-	-


- (2) खातेदार का नाम- भंवरसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत सा0देह खातेदार रहन स0भू0वि0 बैंक शाखा माण्डल

क्र स	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	2326/2	1.12 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	रकबा 1.12 बीघा	-	-

- (3) खातेदार का नाम- अमरसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत सा0देह खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	2326/1	0.09 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	0.09 बीघा	-	-

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिक्केन खर्चा अपना-अपना वहन करे। आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(रजनी माधीवाल)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
सदर कार्यालय करेडा जिला भीलवाड़ा

(डिक्री)

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन राहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

प्र0सं0 104/17 राजस्व वाद

अनवान प्रकरण

1. श्री मुकेश कुमार पिता श्री लक्ष्मीलाल माण्डोट जाति महाजन आयु वयस्क निवासी वेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा
—वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी वेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
 2. श्री अमरसिंह पिता सवाई सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी वेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
 3. राजस्थान राज्य जरिगे तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा
- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत घास 53 रा0टि0ए0 1955 दिनांक - 26.06.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिरसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी ककील वादी मिनजानिव मुददई व श्री सत्यनारायण सोमणी मनलाभिव मुदायला पेश होकर हुवम दिया जाता है कि कि डिक्की डी जाती है कि ग्राम वेमाली पटवार हल्का वेमाली, तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अकन एव नक्शे में तरमीन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(1) खातेदार का नाम- मुकेश कुमार पिता लक्ष्मीलाल माण्डोट महाजन सा0देह खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	2326	4.08 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	रकबा 4.08 बीघा	-	-


(2) खातेदार का नाम- भंवरसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत सा0देह खातेदार रहन स0भू0यो बैक शाखा माण्डल

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	2326/2	1.12 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	रकबा 1.12 बीघा	-	-

(3) खातेदार का नाम- अमरसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत सा0देह खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	2326/1	0.09 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	0.09 बीघा	-	-

आज तारीख 26.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


(रजनी माधीवाल)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी पदेन
राहायक कलक्टर
सत्यनारायण किराला: भीलवाडा